

छत्तीसगढ़ शासन  
 स्कूल शिक्षा विभाग  
 मंत्रालय  
 दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर  
 ——0——  
 // आदेश //

रायपुर, दिनांक १३।६।१२


क्रमांक एफ ६-१७/२०१२/२०-तीक :: राज्य शासन एतद् द्वारा फीस विनियामक समिति की अनुशंसा अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार अंतिम फीस का निर्धारण किया जाता है। यह फीस छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्य के छात्रों के लिये एक समान लागू रहेगी:-

सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-2014 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क

क्र.	संस्था का नाम	बी.एड.पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक फीस (अधिकतम)
1.	ऐरिसेन्ट कालेज आफ बी.एड., ग्राम पटेल पाली जिला रायगढ़	28,500/-
2.	केसरी शिक्षा समिति, ग्राम खोखरा जिला जांजगीर-चांपा	28,500/-
3.	श्याम शिक्षा महाविद्यालय, ग्राम रिषभ तीर्थ जिला जांजगीर-चांपा	28,500/-
4.	ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्थान ग्राम खोखरा जिला जांजगीर-चांपा	28,500/-
5.	जी.टी.बी. कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम फरहदा, जिला बिलासपुर	28,500/-
6.	आयुष शिक्षा महाविद्यालय, ग्राम मरवाही, जिला बिलासपुर	28,500/-
7.	जे.ई.एस. कालेज, ग्राम फरहदा, जिला बिलासपुर	28,500/-
8.	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम बालसी, जिला महासन्दुंद	28,500/-

सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-2015 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क

क्र.	महाविद्यालय का नाम	निर्धारित शुल्क
9.	सांदिपानी एकेडमी, ग्राम अछोटी जिला दुर्ग	28,500/-



- 2/ रु. 1500/-प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय कांशन मनी के रूप में प्रावधान राशि ले सकती है, जो वापिसी योग्य है।
- 3/ समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलायेगी एवं दोषी संख्या के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 4/ यह फीस सत्र 2011-12 से प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए लागू रहेगी।
- 5/ सत्र 2011-12 में प्रवेशित छात्रों से यदि किसी संख्या ने निर्धारित फीस से अधिक फीस ले ली हो तो उसे छात्र को वापिस किये जाय।
- 6/ संख्या द्वारा ट्रान्सपोर्ट शुल्क, छात्रावास, शुल्क, एवं मेस शुल्क "न लाभ न हानि" (no profit no loss) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता से लिया जाना है।
- 7/- विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क क्रमशः विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है वही लिया जाना है।
- 08/- निर्धारित की गई फीस अधिकतम है कोई संख्या चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।
- 09/- विकास शुल्क की सम्पूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संख्या के विकास के लिए ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संख्या अथवा अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- टीप :- यह आदेश माननीय उच्च व्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी.) 2112/2010 एवं 2388/2010 के अध्ययीन रहेगी एवं इन प्रकरणों में माननीय उच्च व्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेश/निर्देश के अनुसार आदेश में बदलाव किया जा सकेगा।

( एम.एन.राजुरकर )

अवरं सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 15.10.12

पृ. क्रमांक एफ 6-13/2011/20-तीव्र  
प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन संविवालय, रायपुर।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी, के सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय रायपुर
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, ४०४० शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
5. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, ४०४० शासन, मंत्रालय, रायपुर।
6. प्रमुख सचिव, ४०४० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर।
7. प्रमुख सचिव, ४०४० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
9. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर।
10. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर।
11. रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।

12. रजिस्ट्रार, गुरुदास वि.वि.कोनी, बिलासपुर ।
13. रजिस्ट्रार, सरगुजा वि.वि.अंबिकापुर ।
14. रजिस्ट्रार, बस्तर वि.वि. जगदलपुर ।
15. रजिस्ट्रार, डा.सी.व्ही.रमन वि.वि. बिलासपुर ।
16. रजिस्ट्रार, मेट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर ।
17. समर्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय, .....
18. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर ।
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

*अवर सचिव १५/६/२*

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग